न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 494/2017

1. हजारी राम पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. हीरालाल पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. चेतराम पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सुल्तानराम पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. भूपेन्द्र पुत्र श्री खेतपाल जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. साहबराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. बनवारीलाल पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. बृजलाल पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. रायचन्द उर्फ रामचन्द पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. परमेश्वरी माता विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
6. अनिता पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
7. लिजन पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
8. दुष्यंत पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 6 एच एच हेतराम वाला पो.ओ. महियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता – – प्रार्थीगण
2. श्री शिवभगवान अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 9

–:: निर्णय ::– **दिनांक 12.01.2018**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम वाके चक 6 एच एच के खाता संख्या 86/60 के मु.नं. 34 के किला नम्बर 9 ता 25 कुल 4.225 हैक्टर तथा प्रार्थीगण संख्या 5 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 15/14 के मु.नं. 30 के किला नम्बर 17 ता 25 में 2.113 हैक्टर तथा मु.नं. 34 के किला नम्बर 1 तास 9 में 2.100 हैक्टर कुल 4.213 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर इसी कब्जा काश्त आज भी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से वाके चक 6 एच एच के खाता संख्या 77/30 के मु.नं. 28 के किला नम्बर 11 ता 25 में कुल 3.201 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के नाम से इसी चक के खाता संख्या 62/61 के मु.नं. 29 के किला नम्बर 15 ता 25 में 2.657 हैक्टर तथा मु.नं. 35 के किला नम्बर 1 ता 4 में 0.885 हैक्टर कुल 3.542 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण घरेलु तौर पर सहमति के आधार पर मु.नं. 28–29 के प्रत्येक किला नम्बर 21 ता 25 में 10–10 फुट रास्ता का उपयोग पिछले 50 वर्ष से कर रहे हैं। यह प्रचलित रास्ते में पुलिया का भी निर्माण कर रखा है चूंकि रास्ता का राजस्व अभिलेख में इन्द्रजा नहीं होने से हमेशा भय बना रहता है कि कभी भी अप्रार्थीगण रास्ता बन्द नहीं कर दे।

प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रचलित मौके के रास्ते मु.नं. 28–29 के प्रत्येक में किला नम्बर 21 ता 25 में न्यायहित में स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

मौके पर प्रस्तावित रास्ता चालू है किन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण ने दिनांक 15.07.2017 को सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृति का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 6 एच एच के मु.नं. 30–34 की कृषि भूमि हेतु मु.नं. 28–29 के प्रत्येक किला नम्बर 21 ता 25 में 10–10 फुट प्रचलित रास्ता को स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसे तस्दीक किया गया मुताबिक राजीनामा दोनों पक्षकारों द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अनुसार यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया जाता है तो किसी पक्षकार को उज्र व ऐतराज नहीं है जिसके लिए सभी पक्षकार सहमत हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षकारों में हुई आपसी सहमति एवं प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चक 6 एच एच के मु.नं. 30–34 की कृषि भूमि हेतु मु.नं. 28–29 के प्रत्येक किला नम्बर 21 ता 25 में 10–10 फुट बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जोव।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर